न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्या:– 4/19 निर्णय दिनांक:–15.02.2021

1 श्री देवा पिता प्रेमशंकर रोत जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी डोल कुन्जेला सुराता तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 श्री महिपाल पिता कालिया रोत जाति मीणा निवासी डोल कुन्जेला सुराता तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्रीमती केशर पत्नि महिपाल रोत जाति मीणा निवासी डोल कुन्जेला सुराता तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3 श्री पप्पु पिता महिपाल रोत जाति मीणा निवासी डोल कुन्जेला सुराता तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4 श्री विनु पिता महिपाल रोत रोत जाति मीणा निवासी डोल कुन्जेला सुराता तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5 श्रीमती हाकरी पत्नि काउडा रोत जाति मीणा निवासी डोल कुन्जेला सुराता तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
6 श्रीमती हाकेर पत्नि हरिदेव रोत जाति मीणा निवासी डोल कुन्जेला सुराता तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
7 श्री मोहन पिता हरिदेव रोत जाति मीणा निवासी डोल कुन्जेला सुराता तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
8 श्री मान तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदयजी झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 ए व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम

सपठित धारा 151 व 212 जा. दी.

उपस्थित :– श्री गौतमलाल रोत वादी की ओर से

श्री कालुराम डामोर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादीगण गांव डोलकुंजेला सुराता के होकर स्थायी निवासी है। वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में खेतीबाडी कर अपना जीवन यापन कर रहा है। वादी के कब्जे काश्त मौजा डोलकुंजेला में खाता संख्या 83, खसरा नम्बर 791/420 खेत किता 1 कुल रकबा 8.04 बीघा होकर स्थित है।

कमश: पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी

वाद कारण प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से जबरन वादी के विरासती कब्जे काश्त की आराजी मौजा डोलकुंजेला के आराजी में जबरन अतिक्रमण करने की नियत से निर्माण सामग्री डालकर मकान निर्माण को लेकर नींव खुदाई कर कार्य शुरू कर दिया है। जिस पर वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण जमीन हमारी है कहकर हडपने की कोशिश करने लगे जिससे मौके पर वादी व प्रतिवादीगण के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। वादी ने कहा कि वादग्रस्त आराजी मुलपुरूष पिता प्रेमशंकर से वादी व भाई किशनलाल को विरासती वारिसदार होकर प्राप्त हुई है। तुम्हे उक्त आराजी में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। वादी ने कहा कि वादग्रस्त आराजी हाल जमाबंदी में रिकॉर्ड दर्ज होकर मौके पर वादी कब्जा है। प्रतिवादीगण की निती व नियत में खोट आ जाने से प्रतिवादी जबरन हडपने की नियत से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक हैकि वे वादी की खातेदारी आराजी मौजा डोलकुंजेला में खाता संख्या 83, खसरा नम्बर 791/420 खेत किता 1 कुल रकबा 8.04 बीघा में प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का वादी को उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा न तो स्वयं करे, न ही अपने मित्र एजेन्ट व परिवार व मजदुरों से करावे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की तरफ से हिदायत पेरवी नहीं प्रतिवादी की ओर अधिवक्ता ने सहमति से जवाब प्रस्तुत नहीं करना स्वीकार किया गया है। जिससे जवाब बंद कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी रखी गई। वादी का वाद स्वीकार किया गया है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य रखी गई।

वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

पीडब्लयु–1– श्री देवा पिता प्रेमशंकर रोत जाति भील निवासी डोल कुन्जेला सुराता तहसील झौथरीपाल

पीडब्लयु–2– श्री मणीलाल पिता हीराजी रोत जाति भील निवासी डोल कुन्जेला तहसील झोथरीपाल

पीडब्लयु–3– श्री थानेश्वर पिता सोमेश्वर रोत जाति भील निवासी डोल कुंजेला तहसील झौथरीपाल

1 प्रदर्श– 1 संवत 2072–2075 की जमाबंदी

2 प्रदर्श– 2 नक्शा ट्रेस

विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में खेतीबाडी कर अपना जीवन यापन कर रहा है। वादी के कब्जे काश्त मौजा डोलकुंजेला में खाता संख्या 83, खसरा नम्बर 791/420 खेत किता 1 कुल रकबा 8.04 बीघा होकर स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

क्रमशः पेज 3 पर

प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से जबरन वादी के विरासती कब्जे काश्त की आराजी में जबरन अतिक्रमण करने की नियत से निर्माण सामग्री डालकर मकान निर्माण को लेकर नींव खुदाई कर कार्य शुरू करने पर वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण जमीन हमारी है कहकर हडपने की कोशिश करने लगे जिससे मौके पर वादी व प्रतिवादीगण के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। वादी ने कहा कि वादग्रस्त आराजी मुलपुरूष पिता प्रेमशंकर से वादी व भाई किशनलाल को विरासती वारिसदार होकर प्राप्त हुई है। तुम्हे उक्त आराजी में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। वादी ने कहा कि वादग्रस्त आराजी हाल जमाबंदी में रिकॉर्ड दर्ज होकर मौके पर वादी कब्जा है। ऐसे में वादी के पक्ष में वाद डिक्री फमराया जाना आवश्यक है।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 व 2 से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदार काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी की आराजी में जबरन कब्जा करने के लिए विवाद करते है। तथा वादी को काश्त में रूकावट पैदा करते है। ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के कब्जे काश्त की कृषि भुमि मौजा डोलकुंजेला में खाता संख्या 83, खसरा नम्बर 791/420 खेत किता 1 कुल रकबा 8.04 बीघा भुमि होकर स्थित है। तथा ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 15.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाड़ा

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

श्री देवा बनाम श्री महिपाल वगैरह

वाद बाबत:– स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 व 209 राज.टी. एक्ट व सपठित धारा 151 जा.दी

मुकदमा नम्बर:– 4/2019

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– श्री अनिल कुमार जैन

व हाजरी :– श्री गौतमलाल रोत मिनजानिब मुदई व कालुराम डामोर मिनजानिब मुदायलाह उपस्थिति होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि:–

मौजा डोलकुंजेला में खाता संख्या 83, खसरा नम्बर 791/420 खेत किता 1 कुल रकबा 8.04 बीघा भुमि होकर स्थित है। तथा ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे।

रे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 15.02.2021 को जारी की गई।

दस्तखत. उपखण्ड अधिकारी

ओहदा ... सीमलवाड़ा ...

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाड़ा